न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00154

श्रवण लाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्रीराम उर्फ सरिया जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैया लाल आत्मज श्री फून्दीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. दुर्गाशंकर आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/2. सत्यनारायण आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/3. घींसी बाई पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी श्री घांसी लाल जाति माली निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रेखराज आत्मज श्री रामनारायण जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   2/1. प्रेमशंकर
   2/2. नन्दकिशोर पिसारान श्री रेखराज जाति माली निवासीगण ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ ।
   2/3. सुनिता बाई पुत्री श्री रेखराज जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा ।
   2/4. घींसी बाई बेवा पत्नी रेखराज जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. ओम प्रकाश
4. नृसिंह लाल
5. एलचीराम पिसरान श्री रामनारायण जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. माधोलाल आत्मज श्रीराम उर्फ सरिया जाति माली निवासी छत्रपुरा हाल निवासी हरीमार्ग सिविल प्लाट नम्बर 132 जयपुर ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी।
8. सम्पत कुमार आत्मज श्री राजमल जी महाजन निवासी देई ।
9. बृजसुन्दर आत्मज देवीशकर जाति खाती निवासी देई जिला कोटा ।
10. मेहमूद अली आत्मज श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम देई पोल नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 8 से 10 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में 18 किता की 2.69 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि दिनांक 23 फरवरी, 1924 को चन्द आत्मज मोती ने महाराजा श्री सुमेर सिंह तत्कालीन दरबार इन्द्रगढ से क्रय की थी और 200/– रूपये कलदार की एवज में श्री चन्द्रा जी के हक में पूरे कुए की भूमि करीब 15 बीघा विक्रय करते हुए कब्जा उसी समय चन्द्रा जी को संभला दिया । चन्द्रा जी के एक पुत्र श्री राम उर्फ सरिया हुआ जिसकी मृत्यु हो चुकी है । सरिया जी के दो पुत्र श्रवण वादी व प्रतिवादी क्रम 07 माधो लाल हैं । माधो लाल जयपुर में नौकरी पेशा होने से दावा दायरी तारीख को उपलब्ध नहीं होने से उसे प्रतिवादी क्रम 07 के रूप में पक्षकार बनाया गया है । उक्त भूमि पर वादी व उसके बडे भाई माधो लाल अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम बिना किसी क्षेत्राधिकार के दर्ज कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों का उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग में कोई अधिकार नहीं था । मृतक फून्दिया द्वारा उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लेने और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 1 से 6 का नाम गलत तरीके से दर्ज किये जाने से प्रतिवादीगण के पक्ष में उक्त भूमि में कोई किसी प्रकार के हक अधिकार पैदा नहीं होते हैं । वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करवाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार बन चुके हैं । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि दिनांक 06.12.2000 को प्रतिवादी क्रम 9 से 12 को बेचान कर दी । उक्त बेचान वादीगण के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं रखता है । उक्त बेचान के आधार पर उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर प्रतिवादी संख्या 07 का नाम समान हक व हिस्सा बराबर के सहखातेदार के रूप में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग पर किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बेचान नहीं करें । साथ ही वादी को उक्त भूमि से ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने दिनांक 23.02.1924 का पट्टा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था जो महाराज सुमेर सिंह जी तत्कालीन दरबार इन्द्रगढ द्वारा वादी के दादा चन्दा आत्मज मोती के पक्ष में जारी किया गया था । यह पट्टा सम्पत्ति हस्तान्तरण का विधि सम्मत दस्तावेज था । फून्दीलाल ने पूर्व में वादी के पिता के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा किया था जिसमें बाद में धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जे की मांग की थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद डिक्री किया गया था परन्तु उक्त आदेश की अपील होने पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.1992 से प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया और उक्त वाद अन्ततः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया । उक्त भूमि पर अपीलान्टगण का कब्जा बदस्तूर रहा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र धारा 140 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट यह नहीं बता सके कि वादग्रस्त आराजी किस आधार पर उनके खाते लगी जबकि अपीलान्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का पट्टा है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 9 से 12 के पक्ष में जो विक्रय पत्र आलेखित किया है वह शून्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 का ट्रान्सफरेबल राइडटस ही नहीं थे तो क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और ऐसे विक्रय को निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 23 फरवरी, 1924 को एक पट्टा महाराज सुमेर सिंह जी तत्कालीन दरबार इन्द्रगढ द्वारा वादी के दादा चन्दा आत्मज मोती के पक्ष में जारी किया गया था । इसमें कुए के पास की बाढिया का मालिक चन्द्रा को बनाया था । यह पट्टा तत्कालीन दरबार की मोहर से जारी किया गया था जो विधि सम्मत है । रियासत काल में हर रियासत का अपना कानून था तथा दरबार के पट्टे की वैधानिक मान्यता थी । अधीनस्थ न्यायालय ने इसके रजिस्टर्ड नहीं होने के आधार पर इसको अमान्य करने में त्रुटि की है । फून्दीलाल ने वादी के पिता के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया था जिसमें बाद में धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संशोधित कर कब्जे की मांग की थी । इस दावे को अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री किया था परन्तु अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.05.1992 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया इसके उपरान्त वादी का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया ।

इस प्रकार कब्जा बदस्तूर अपीलान्ट का बना रहा है । ऐसी स्थिति में 140 एल0आर0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जा नहीं मानने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट के खाते में यह आराजी किस आधार पर लगी यह रेस्पोडेन्ट स्पष्ट नहीं कर पाये हैं । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का कोई खण्डन रेस्पोडेन्ट के द्वारा नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 6 के द्वारा जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है वो शून्य है क्योंकि जब विक्रेता को ही वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तो वो क्रेता को अपने से बेहतर टाईटल नहीं दे सकते हैं । मात्र खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के आधार पर इस पट्टे के आधार पर अपीलान्ट के अधिकार नहीं माने हैं जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट जिस पट्टे की बात करते हैं वह प्रदर्श– 19 के रूप में पत्रावली में संलग्न है । इसमें कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं है, कोई गॉव अंकित नहीं है । ऐसी स्थिति में इसके आधार पर अपीलान्ट के वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार निहित नहीं है । अपीलान्ट कब्जा मुखालाफाने की भी बात करते हैं । परन्तु कब्जा मुखालफाना के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी के द्वारा दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 प्रदर्श– 1 पेश की है, रसीद लगान प्रदर्श– 2 व 3 पेश की गई हैं, नकल निर्णय सहायक कलक्टर के0 पाटन दिनांक 20.12.1988 प्रदर्श– 4 लगायत प्रदर्श–8, नकल संशोधित दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा फून्दी लाल प्रदर्श–9, रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक प्रदर्श– 10, नकल निर्णय दिनांक 03.12.99 सहायक कलक्टर के0 पाटन प्रदर्श–11, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रदर्श– 12, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2041–60 प्रदर्श–13, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2032 प्रदर्श–14, रिपोर्ट दिनांक 29.07.70 तहसीलदार इन्द्रगढ प्रदर्श–15, अधिसूचना पत्र की नकल प्रदर्श–16, फून्दी लाल द्वारा पेश दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन प्रदर्श–17, सहायक कलक्टर के0 पाटन में प्रस्तुत जवाबदावा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–18, तहरीर संवत् 1980 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 19 पेश किये गये हैं । इसके अलावा कुछ दस्तावेजात भी पत्रावली पर संलग्न हैं जो प्रदर्शित नहीं हुए हैं ।

11. बयान वादी श्रवण लाल पीडब्ल्यू–1, कान्हा पीडब्ल्यू–2 एवं लटूर पीडब्ल्यू– 3 कराये गये हैं ।

12. वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा मुख्य रूप से प्रदर्श– 19 के आधार पर पेश किया गया है जिसको उनके द्वारा महाराजा सुमेर सिंह जी तत्कालीन दरबार, इन्द्रगढ के द्वारा जारी किया गया पट्टा बताया गया है । मूल पट्टा पेश नहीं किया गया है। इस पट्टे की प्रति जो पत्रावली पर संलग्न है उसका अवलोकन किया गया । इस दस्तावेज में खसरा नम्बर अंकित

नहीं है और न ही यह पंजीकृत है, बिना खसरा नम्बर अंकन के इस पट्टे को वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित नहीं माना जा सकता । तद्नुसार इस पट्टे के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता । जहॉ तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/11/2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00154

श्रवण लाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्रीराम उर्फ सरिया जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कन्हैया लाल आत्मज श्री फून्दीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. दुर्गाशंकर आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/2. सत्यनारायण आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
   1/3. घींसी बाई पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी श्री घांसी लाल जाति माली निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रेखराज आत्मज श्री रामनारायण जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   2/1. प्रेमशंकर
   2/2. नन्दकिशोर पिसारान श्री रेखराज जाति माली निवासीगण ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ ।
   2/3. सुनिता बाई पुत्री श्री रेखराज जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा ।
   2/4. घींसी बाई बेवा पत्नी रेखराज जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. ओम प्रकाश
4. नृसिंह लाल
5. एलचीराम पिसरान श्री रामनारायण जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. माधोलाल आत्मज श्रीराम उर्फ सरिया जाति माली निवासी छत्रपुरा हाल निवासी हरीमार्ग सिविल प्लाट नम्बर 132 जयपुर ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी।
8. सम्पत कुमार आत्मज श्री राजमल जी महाजन निवासी देई ।
9. बृजसुन्दर आत्मज देवीशकर जाति खाती निवासी देई जिला कोटा ।
10. मेहमूद अली आत्मज श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम देई पोल नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बूंन्दी ।

वाद संख्याः 76/दावा/2007

श्रवण लाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्रीराम उर्फ सरिया जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. कन्हैया लाल आयु 62 साल आत्मज श्री फून्दीलाल जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. रेखराज आत्मज श्री रामनारायण जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   2/1. प्रेमशंकर
   2/2. नन्दकिशोर पिसारान श्री रेखराज जाति माली निवासीगण ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ ।
   2/3. सुनिता बांई पुत्री श्री रेखराज जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा ।
   2/4. घींसी बाई बेवा पत्नी रेखराज जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. ओम प्रकाश
4. नृसिंह लाल
5. एलचीराम पिसरान श्री रामनारायण जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. रामनारायणी आयु 60 साल बेवा रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा ।
7. माधोलाल आत्मज श्रीराम उर्फ सरिया जाति माली निवासी छत्रपुरा हाल निवासी हरीमार्ग सिविल प्लाट नम्बर 132 जयपुर ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी।
9. सम्पत कुमार आत्मज श्री राजमल जी महाजन निवासी देई ।
10. बृजसुन्दर आत्मज देवीशकर जाति खाती निवासी देई जिला कोटा ।
11. मेहमूद अली आत्मज श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम देई पोल नैनवा जिला बून्दी ।
12. मोहम्मद सईद आयु 32 साल आत्मज हाजी मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान निवासी विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त **अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 25.11.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 25.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

25/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा